संख्या– /661/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प2002–2006

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग

देहरादून:दिनांक 16 जून,2006

विषयः– जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के कार्य में पूर्व स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष विस्तारीकरण के कार्य में आ रही बाधाओं के निस्तारण हेतु दिनॉक 18–4–2006 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार अतिरिक्त वैकल्पिक कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के प्रयोजन से पूर्व स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष विस्तारीकरण के कार्य में आ रही बाधाओं के निस्तारण हेतु दिनॉक 18–4–2006 को शासन स्तर पर आयोजित बैठक के निर्णयानुसार अतिरिक्त वैकल्पिक कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,अस्थाई खण्ड,ऋषिकेश द्वारा गठित रुपये 317.46 लाख (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख छियालीस हजार मात्र) के आगणनों पर टी0एस0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 306.80 लाख (रुपये तीन करोड छः लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इतनी ही धनराशि को निम्न तालिका के विवरणानुसार योजनाओं के सम्मुख अंकित धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आगणन की लागत (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	टिप्पणी	निर्माण इकाई
01	02	03	04	05	06
01	जौलीग्राण्ट एअरपोर्ट के विस्तारीकरण के फलस्वरुप बन्द हुए मार्गो के वैकल्पिक मार्गो का निर्माण	290.82	281.80	आगणन में प्रतिकर का प्राविधान किया गया है । प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार राजस्व विभाग से कराया जाय तथा भुगतान वास्तविक काश्तकार को ही किया जाना चाहिये ।	अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,अस्थाई खण्ड,ऋषिकेश
02	जौलीग्राण्ट एअरपोर्ट के विस्तारीकरण के फलस्वरुप चोरपुलिया से एअरपोर्ट के पुराने गेट के समीप तक मार्ग का निर्माण	26.64	25.00	----	–तदैव–
		योग	306.80		

2- उक्त धनराशि की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है बल्कि धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–60/IX(31)/2006-2007/बजट/प्लान/नान प्लान/2006–2007, दिनांक 08मई, 2006 द्वारा निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल, देहरादून के निवर्तन पर रखी गई धनराशि में से ही किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,अस्थाई खण्ड,ऋषिकेश,जिला–देहरादून को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी ।

4- निर्माण कार्य कराते समय नियमानुसार स्टोर परचेज नियमों का विशेष ध्यान रखा जाये।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों/निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाये।

6- कार्य कराने से पूर्व एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

7- धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

8- कार्यों के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 5 अप्रैल, 2005 का अनुपालन किया जायेगा।

9- कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीं–भांती निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही उपयोग में लाया जाये।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उक्तानुसार अनुमोदित मदों पर ही किया जाये। अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

12- आवंटित धनराशि का दिनांक 31–3–2007 तक पूर्ण उपयोग कर उसके कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना नियमित रूप से मास में एक बार निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि दिनांक 31–3–2007 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13- कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही कराये जायें, किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन/ अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्यदायी संस्था/इकाई द्वारा निर्दिष्ट मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मद को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

14- कार्यदायी इकाई को आवंटित कार्य को शासन द्वारा निश्चित समयसीमा में पूर्ण कराया जाना होगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यों में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय 04–हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00– 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–189/XXVII(2)/2006, दिनांक 14–6–2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या– 11ɔ– /661/स0ना0उ0/पी0एस0(कैम्प)2002–2006,समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा,देहरादून ।
02– अवस्थापना विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव वित्त,उत्तरॉचल शासन ।
03– अपर मुख्य सचिव,उत्तरॉचल शासन ।
04– प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी ।
05– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ ।
06– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
07– जिलाधिकारी, देहरादून ।
08– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
09– अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,अस्थाई खण्ड,ऋषिकेश,जिला–देहरादून ।
10– वित्त अनुभाग–2
11– गार्ड फाइल ।
12– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव